न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 25/2020

प्रार्थीगण –

1. मनोज पुत्र शैतानराम उम्र 22 साल
2. शैतानराम पुत्र पुनाराम उम्र 45 साल
3. इन्द्रा पुत्री पुनाराम उम्र 50 साल
   जातियान–जाट निवासीगण–फरडौद तहसील–जायल

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. पुनाराम पुत्र गणेशाराम
2. रिद्धाराम पुत्र पुनाराम
3. सुगनाई पत्नि पुनाराम जातियान जाट निवासी फरडौद
4. छोटीदेवी पुत्री पुनाराम पत्नि देवाराम जाति जाट निवासी फरडौद
5. भीमसेन पुत्र धनराज जाति महाजन
6. मालचंद पुत्र धनराज जाति महाजन
7. लालमोहम्मद पुत्र मेहमूद जाति तैली निवासीगण फरडौद
8. हंसराज पुत्र गणपतराम जाति खाती निवासी टांगला
9. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फरडौद
10. मैनेजर आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा नागौर।
11. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बुगरड़ा
12. तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़, श्री बस्तीराम ढाकाप्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कडवासरा अप्रार्थी सं. 1 से 4की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 9 उपस्थित।

– : : आदेश : :–

दिनांक : 11/05/2022

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी नेएक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 25/2020 उपरोक्त उनवानित प्रकरण में पत्रावली नियत तारीख पेशी दिनांक 25.06.2020 को बहस वकुलाय उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की बढेर की एवं संयुक्त आय से अर्जित भूमि ग्राम फरड़ोद तहसील जायल में खसरा नं. 1720, 1235, 1718 व 477 के रूप में स्थित है। उक्त खेताय में से खसरा नं. 1237 जो कि छोटीदेवी पुत्री पुनाराम के नाम वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है, उक्त खेत भी परिवार की संयुक्त अर्जित आय से प्राप्त आराजी है, जो रिद्धाराम के नाम दर्ज है तथा खेत खसरा नं. 1718 बडेर की पैतृक सम्पति है, जो पूनाराम के नाम दर्ज है एवं खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नं. 1235 शैतानराम के नाम खातेदारी में दर्ज है व खेत खसरा नं. 1720 में से 3/5 हिस्सा सुगनाई पत्नि पुनाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त खेताय का मौखिक बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार अलग–2 सीवें व माठ कायम की जा चुकी है तथा वर्तमान में उसी अनुसार मौके पर काबिज भी है। परन्तु भौतिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। खातेदारी की आड़ में बिना भौतिक

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

विभाजन कराये प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी. सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद मौजा फरडौद तहसील जायल के खसरा नं. 1720 व 1718 की भूमि में कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने,मौके की स्थिति में परिवर्तन नही करने एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने किया।

2. वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपनी दलीलें पेश की तथा निवेदन किया कि खेत खसरा नं. 1237 अप्रार्थी छोटीदेवी के नाम खातेदारी में दर्ज है खेत खसरा नं. 477 अप्रार्थी संख्या 2 रिद्धाराम की खातेदारी में दर्ज है जो खेत बडेर का नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खुद का खरीद सुदा खेत है। खेत खसरा नं. 1718 बडेर का खेत अवश्य है जो अप्रार्थी पूनाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 1235 प्रार्थी शैतानराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। जो अप्रार्थी पूनाराम ने अपनी पारिवारिक आय की आय से खरीद कर अपने बड़े पुत्र प्रार्थी शैतानराम के नाम नाबालिग अवस्था में ही खातेदारी में दर्ज करवा दिया था। जो प्रार्थी के अलग होने पर उसके बंट में सम्पूर्ण भूमि का 1/5 हिस्से अनुसार दे दिया था। खेत खसरा नं. 1720 अप्रार्थी सुगनाई की स्वयं की आय से खरीद सुदा खेत है। उक्त खेत में 3/5 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व 2 का बंट व कब्जे में आने की बाबत् गलत है व अस्वीकार है। खेत खसरा नं. 1720 प्रार्थीगण के दादा तथा पूर्वज धोंकला वल्द हरदेव के नाम खतौनी सम्वत् 2006 में अवश्य दर्ज है जिसके अनुसार प्रार्थी शैतानराम के बंट में खेसरा नं. 1235 देकर परिवार से अलग कर दिया उसके बाद इस परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। अब नियत खराब हो जाने से व्यथ दावा किया है। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 को गलत होने से अस्वीकार किया तथा जवाब प्रा.पत्र के उप पैरा में वर्णित पैराज अनुसार बंट, कब्जा काश्त होने संबंधी दलीलें पेश की।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में दलीलें पेश करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के हक में खसरा नं. 1237 व 477 बंट मे रखे जाने की बात गलत है बल्कि उक्त खेताय इनके खरीद सुदा खेताय है। अप्रार्थी पूनाराम द्वारा पूर्व में पुश्तैनी भूमि में से 41 बीघा खेत (खसरा नं. 1581, 1587, 1574 की भूमि) अप्रार्थीगण द्वारा एक राय होकर अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बैचान करने की बात भी गलत है, जबकि उक्त खेताय की भूमि अप्रार्थी पूनाराम द्वारा स्वयं की आय से खरीद की हुई थी, जिसका बैचान अप्रार्थी ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया था और उक्त खेत की भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्यों कि प्रार्थी शैतानराम अपना बंट लेकर बहुत पहले ही अलग हो गया। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है इसी प्रकार किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के द्वारा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण पक्ष को होगी। अतः प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपील दलीलें पेश करते हुये पुनः निवेदन किया कि अप्रार्थी का यह कहना गलत है कि खसरा नं. 1720 स्व अर्जित भूमि है उसमें प्रार्थी संख्या 1 मनोज की बडेर की सम्पति होती है लेकिन सुगनाई अपने हक अधिकार की भूमि में से अधिक भूमि बक्शीश कर रही है भूमि को खुर्द-बुर्द कर रही है।

3. न्यायालय हाजा में मौजा फरडौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 1237, 477 की भूमि के संबंध राजस्व वाद संख्या 44/2020 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का विचाराधीन है,जबकि प्रार्थीगण द्वारा मौजा फरडौद के खसरा नं. खसरा नं. 1235, 1237 व 477 को छोडकर अन्य खसरा नं. 1720 व 1718 के लिए ही अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ प्रार्थना पत्र में की गई है। चूंकि पूर्व में प्रकरण हाजा में अन्य पक्षकारान् भी विवादग्रस्त खसरान की भूमि खातेदार दर्ज है, जिससे प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति किसी एक पक्ष की बजाय दोनों पक्षों को होना प्रतीत होने के साथ ही भविष्य में मौजा फरडौद के खसरा नं. 1235, 1237, 477 को लेकर भी इन्ही पक्षकारों के मध्य में विवाद बढने की संभावित स्थिति के दृष्टिगत एंव मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 से मौजा फरडौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 1237, 477 की भूमि का बैचान, बक्शीस,

हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबद किया गया ।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 से मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 1237, 477 की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबद किये जाने से अप्रार्थी संख्या 2 के खरीदशुदा खेत ख.न. 477 व अप्रार्थी संख्या 4 के खरीदशुदा खेत ख.न. 1237 अराजी भूमि भी प्रभावित हो रही है। जिससे अप्रार्थी खातेदार के खातेदारी अधिकार प्रभावित होन से खातेदारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है जबकि उक्त खसरान भूमि स्वअर्जित भूमि होन से प्रार्थी पक्ष का कोई भी हक /हिस्सा निहित नहीं होन से प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी पक्ष में नहीं है। इसके विपरित उक्त अराजी खरीदशुदा भूमि पर अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.6.2020 प्रभावशील होने से अप्रार्थी संख्या 2 रिद्धाराम व अप्रार्थी संख्या 4 छोटीदेवी खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 से मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 477 व 1237 की भूमि को अन्तरिम निषेधाज्ञा से प्रभावमुक्त करने का निवेदन किया ।

4. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा में मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 1237, 477 की भूमि के संबंध राजस्व वाद संख्या 44/2020 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का विचाराधीन है। चूंकि प्रकरण हाजा में पूर्व में जिससे प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति किसी एक पक्ष की बजाय दोनों पक्षों को होना प्रतीत होने के साथ ही भविष्य में मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 1235, 1237, 477 को लेकर भी इन्ही पक्षकारों के मध्य में विवाद बढ़ने की संभावित स्थिति के दृष्टिगत एंव मददेनजर रखते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 से मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 1237, 477 की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पांबद किया गया । वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा दलिल पेश की गयी की न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 से मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 1237, 477 की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पांबद किय जाने से अप्रार्थी संख्या 2 के खरीदशुदा खेत ख.न. 477 व अप्रार्थी संख्या 4 के खरीदशुदा खेत ख.न. 1237 अराजी भूमि भी प्रभावित हो रही है। जिससे अप्रार्थी खातेदार के खातेदारी अधिकार प्रभावित होन से खातेदारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है जबकि उक्त खसरान भूमि स्वअर्जित भूमि होन से प्रार्थी पक्ष का कोई भी हक /हिस्सा निहित नहीं होने से प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी पक्ष में नहीं है। इसके विपरित उक्त अराजी खरीदशुदा भूमि पर अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.6.2020 प्रभावशील होन से अप्रार्थी संख्या 2 रिद्धाराम व अप्रार्थी संख्या 4 छोटीदेवी खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 से मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 477 व 1237 की भूमि का अन्तरिम निषेधाज्ञा से प्रभावमुक्त करने का निवेदन किया । प्रकरण का अवलोकन किये अनुसार ग्राम फरड़ौद के ख.न. 1718 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 पुनाराम के खातेदारी में दर्ज है तथा ख.न. 1720 जो कि अप्रार्थी संख्या 3 सुगनाई पत्नि पुनाराम के दर्ज है जिसे वकील अप्रार्थी द्वारा भी दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्यों को स्वीकार किया गया जिससे भूमि बडेर की होने तथा पारिवारिक सामन्तरी आय से अर्जित होना प्रथम दृष्टया प्रतित हो रही है जिसमें हक बंट व घोषणा खातेदारी अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में राजस्व वाद संख्या 44/2020 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 से मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 477 व 1237 की भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रभावमुक्त किया जाना तथा मौजा फरड़ौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 की भूमि का बैचान,

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जावद

बक्शीस, नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन हस्तान्तरण ताफैसला वाद तक नहीं करने हेतू प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को पांबद किया जाना न्यायसंगत एंव उचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

अतः न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2020 में मौजा फरडौद के खसरा नं. 477 व 1237 की भूमि को अन्तरिम निषेधाज्ञा से प्रभावमुक्त करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा फरडौद के खसरा नं. 1720, 1235, 1718 की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन ताफैसला वाद तक नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 11/05/2022 को मजमें आम लिखा जाकर सुनाया गया।

11/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर